

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400 005

आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/38

मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17

25 अगस्त, 2016

(05 अक्टूबर 2018 को संशोधित)

(31 मई 2018 को संशोधित)

(14 अगस्त 2017 को संशोधित)

**मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी
(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016**

भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझकर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने के लिए नीचे निर्दिष्ट निदेश देना आवश्यक है, एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) (आरबीआई अधिनियम) की धाराओं यथा- 45जे, 45जेए, 45के, 45 एल तथा 45एमए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में निहित पूर्ववर्ती निदेशों के अधिक्रमण में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए होने वाले इसके बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 जारी करता है।

विषय सूची

विषय
अध्याय I - प्रस्तावना
अध्याय II परिभाषा
अध्याय III चल आस्तियों के रख-रखाव की आवश्यकता
अध्याय IV गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने पर प्रतिबंध
अध्याय V जनता की जमाराशि की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान
अध्याय VI विविध अनुदेश
अध्याय VII रिपोर्टिंग की आवश्यकता
अध्याय VIII व्याख्या
अध्याय IX वापस लिए गए प्रावधान
<u>संलग्नक</u>
संलग्नक- I सरकारी एनबीएफसी संबंधी समय-सीमा
संलग्नक- II न्यास विलेख का प्रारूप
संलग्नक III चल आस्तियों (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के न्यास संबंधी दिशानिर्देश

अध्याय -I

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ

- (क) इन निदेशों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश" के रूप में जाना जाएगा।
- (ख) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. प्रयोजनीयता

(1) (i) इन निदेशों के प्रावधान आरबीआई अधिनियम की धारा 45आईए(5) के तहत पंजीकृत प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू होंगे।

(ii) इन निदेशों में शामिल प्रावधान म्यूचुअल बेनेफिट वित्तीय कंपनी अथवा म्यूचुअल बेनेफिट कंपनी पर लागू नहीं होंगे; बशर्ते कि म्यूचुअल बेनेफिट कंपनी का आवेदन भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 1) के तहत अस्वीकृत नहीं कर दी गई हो।

(iii) इन निर्देशों में विनिर्दिष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 4) की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकृत प्रमाणपत्र रखने वाली कोई बीमा कंपनी, अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 42) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित कोई स्टॉक एक्सचेंज, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992(1992 का अधिनियम 15) की धारा 12 में परिभाषित कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी;

(iv) जनता से जमाराशि स्वीकार/धारण नहीं करने वाली कोई ऋणदाता कंपनी, निवेश कंपनी और आस्ति वित्त कंपनी:

बशर्ते कि कंपनी इन निदेशों के जारी होने के 30 दिनों के भीतर और अगले वित्त वर्ष के आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर तथा उसके बाद के वर्षों में इसी प्रकार अपनी निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय का एक संकल्प पारित करे कि कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से जमाराशि न तो स्वीकार की है और न ही उसे स्वीकार करेगी।

(v) निवेश कंपनी, -

(i) जिसने केवल अपनी समूह/होल्टिडिंग/सहायक कंपनी की शेयर/प्रतिभूति ली है और यह अधिग्रहण किसी भी समय इसकी कुल आस्तियों का 90% से कम नहीं है;

(ii) जो ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं करती; और

(iii) जो जनता से जमाराशि स्वीकार/धारण नहीं करती:

बशर्ते कि कंपनी इन निदेशों के जारी होने के 30 दिनों के भीतर और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर अपनी निदेशक मंडल की बैठक में इस आशय का एक संकल्प पारित करे कि कंपनी ने अपनी समूह/होल्टिडिंग/सहायक कंपनी की शेयर/प्रतिभूति में निवेश की है/निवेश करेगी और यह अधिग्रहण इसकी कुल आस्तियों के 90% से कम नहीं है; और (प्रत्येक कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) यह कि कंपनी ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं करेगी और न ही वर्ष के दौरान उसने जनता से जमाराशि स्वीकार/धारण की है।

(vi) ये निदेश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में दी गई परिभाषा के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते किसी भी एनबीएफसी पर लागू नहीं होगा। हालांकि, सरकारी एनबीएफसी द्वारा विवेकपूर्ण विनियमन, जनता से जमाराशियां स्वीकार करने, कारपोरेट गवर्नेंस, व्यापार संबंधी विनियमन और सांविधिक प्रावधानों इत्यादि से संबंधित निदेशों का अनुपालन [अनुलग्नक - I](#) में दिये गए समय-सीमा के अनुसार किया जाएगा। ऐसी सरकारी एनबीएफसी, जिनके द्वारा प्रस्तुत रोड मैप¹ के अनुसार पहले से विवेकपूर्ण विनियमन का अनुपालन किया जा रहा है, वे इसे जारी रखेंगे।

(2) इसके अतिरिक्त किसी संकट को दूर करने के लिए अथवा किसी अन्य न्यायसंगत एवं पर्याप्त कारण हेतु, यदि आवश्यक समझता है, तो कुछ शर्तें लगाकर, बैंक, इन निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान से सामान्य रूप से अथवा किसी विशिष्ट अवधि के लिए अनुपालन की अवधि बढ़ा सकता है अथवा किसी कंपनी अथवा कंपनी की किसी श्रेणी को इससे छूट प्रदान कर सकता है।

(3) इन निदेशों में गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों को संकलित किया गया है। तथापि, बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के लिए जारी अन्य निदेश/दिशानिर्देश का अनुपालन अपेक्षित रहेगा।

अध्याय- II

परिभाषा

¹ [12 दिसंबर 2006 को सरकारी कंपनियों को पत्र संख्या डीएनबीएस.पीडी./सीसी.संख्या.86/03.02.089/2006-07](#) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग-डीएनबीएस) को सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न मर्दों के अनुपालन के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था।

(3) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक स्थिति से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (i) "अधिनियम" से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;
- (ii) "परिसंपत्ति वित्त कंपनी" का तात्पर्य उस कंपनी से है जो वित्तीय संस्था है; जिसका प्रधान कारोबार उत्पादक/आर्थिक गतिविधियों में सहायक भौतिक परिसंपत्तियों, जैसे आटोमोबाइल, ट्रैक्टरों, लेथ मशीनों, जनरेटर सेटों, अर्थमूविंग और मटीरियल हैंडिलिंग उपकरणों, स्वचालित एवं सामान्य प्रयोजन की औद्योगिक मशीनों, का वित्तपोषण करना है। इस उद्देश्य के लिए मूल कारोबार की परिभाषा यह है कि वित्तीय, वास्तविक/भौतिक आस्तियों से समर्थित आर्थिक गतिविधि और उससे प्राप्त आय का सकल मान क्रमशः इसकी कुल आस्तियों और कुल आय के 60% से कम नहीं है।
- (iii) "बैंक" से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक।
- (iv) 'जमाकर्ता' से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी कंपनी में जमाराशि रखी है; अथवा ऐसे जमाकर्ता का कोई उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक अथवा समनुदेशिनी;
- (v) 'निर्बंध आरक्षित निधियों' से तात्पर्य है शेयर प्रीमियम खाते की कुल शेष राशि का कुल, पूंजी तथा डिबेंचर शोधन आरक्षित निधियां एवं किसी कंपनी के तुलन-पत्र में दर्शाई या प्रकाशित कोई अन्य आरक्षित निधि जो भविष्य की किसी देयता की चुकौती के लिए या परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए या अशोध्य ऋणों के लिए निर्मित रिज़र्व अथवा संबंधित कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा निर्मित रिज़र्व न होकर, लाभ के विनियोजन के माध्यम से निर्मित है;
- (vi) "हाइब्रिड डेट" से तात्पर्य है पूंजीगत निवेश जो कि इक्विटी तथा डेट दोनों की विशेषता रखता हो।
- (vii) "बीमा कंपनी" का अर्थ है बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 4) की धारा 3 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी;
- (viii) "निवेश कंपनी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी है जिसका प्रमुख कारोबार प्रतिभूतियों का अर्जन है;
- (ix) "ऋणदायी सरकारी वित्तीय संस्था" से तात्पर्य है -
 - (ए) कोई सरकारी वित्तीय संस्था जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 4क में विनिर्दिष्ट अथवा उसके अधीन है; या
 - (बी) कोई राज्य वित्तीय औद्योगिक अथवा निवेश निगम; या
 - (सी) कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक; या
 - (डी) सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम; या

(ई) ऐसी कोई अन्य संस्था जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(x) "ऋणदाता कंपनी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय संस्था है जो अपने खुद के कार्यकलापों के अलावा अन्य किसी कार्यकलाप के लिए ऋण अथवा अग्रिम अथवा अन्य किसी प्रकार से वित्त प्रदान करती है; परंतु इसमें परिसंपत्ति वित्त कंपनी शामिल नहीं है;

(xi) "पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी" से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 620ए के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्था है;

(xii) "पारस्परिक लाभ कंपनी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 620ए के अधीन अधिसूचित नहीं है और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार -

(ए) 9 जनवरी 1997 को कर रही है और

(बी) जिसके पास कुल निवल स्वाधिकृत निधियां तथा अधिनिमान्य शेयर पूंजी 10 लाख रुपये से कम नहीं है, और

(सी) जिसने 9 जुलाई 1997 को या उसके पहले रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया है; और

(डी) जो केन्द्र सरकार द्वारा निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637ए के तहत जारी निदेशों के संगत उपबंधों में निहित अपेक्षाओं का पालन करती है।

(xiii) "निवल स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45आइए के अधीन यथा परिभाषित निवल स्वाधिकृत निधि है जिसमें इक्विटी में अनिवार्यतः परिवर्तनीय चुकता अधिमानी शेयरों का समावेश है।

(xiv) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ है केवल गैर-बैंकिंग संस्था जो एक ऋणदाता कंपनी अथवा निवेश कंपनी अथवा परिसंपत्ति वित्त कंपनी अथवा पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी अथवा फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम (2011) की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकृत एक फैक्टर है;

(xv) 'जनता की जमाराशि' से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आई (बीबी) के तहत यथा परिभाषित जमाराशि, जिसमें निम्नलिखित का समावेश नहीं है,

(ए) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ऐसी राशि जिसकी चुकौती केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि;

(बी) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, या सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम और

उसके सहयोगी, अथवा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या भारतीय यूनिट न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट न्यास, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत मंडल, या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि., या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि., या भारतीय पुनर्वास उद्योग निगम लि., या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि., या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि., या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि., या कृषि वित्त निगम लि., या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि., या एशियाई विकास बैंक या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 1) के अंतर्गत गठित कंपनी अथवा किसी अधिनियम द्वारा अथवा के तहत स्थापित कोई निगम अथवा किसी राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट अन्य किसी संस्था से प्राप्त कोई राशि;

(सी) किसी अन्य कंपनी से किसी कंपनी को प्राप्त राशि;

(डी) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शेयर आवेदन राशि अथवा कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 और समय समय पर संशोधनों के अनुसार अनुमत अवधि के लिए प्रतिभूति आवंटन हेतु लंबित आवंटन के लिए देय अग्रिम सहित, किसी प्रतिभूति के अंशदान के रूप में प्राप्त और धारित राशि;

(ई) किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई ऐसी राशि जिसकी प्राप्ति के समय वह व्यक्ति उस कंपनी का निदेशक हो या किसी निजी कंपनी द्वारा या ऐसी निजी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43ए के तहत सार्वजनिक कंपनी बन गई है और अपने अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंध शामिल करना जारी रखती है,

बशर्त निदेशक या शेयरधारक, जो भी मामला हो, जिससे धन प्राप्त हुआ है, धन देते समय कंपनी को इस आशय का एक लिखित घोषणापत्र देता है कि उक्त राशि उधार अथवा अन्यो से स्वीकार की गई निधियों से नहीं दी जा रही है;

[आगे शर्त यह है कि निजी कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, संबंधित संयुक्त शेयरधारकों से या उनके नाम पर प्राप्त राशियां, प्रथम नाम वाले शेयरधारक को छोड़कर, संबंधित कंपनी के शेयरधारक से प्राप्त धन के रूप में मानी जाने हेतु पात्र नहीं होंगी।]

(एफ) संबंधित कंपनी की किसी अचल संपत्ति या किसी अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत बांडों या डिबेंचरों के निर्गम द्वारा या उनको उक्त कंपनी के शेयरों; जिन्हें अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तित किया

गया हो, से जुटाई गई राशि बशर्ते यदि ऐसे बांड या डिबेंचर किसी अचल संपत्ति के बंधक द्वारा या किसी अन्य परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत है तो ऐसे बांडों या डिबेंचरों की राशि उक्त अचल संपत्ति/ अन्य परिसंपत्तियों के बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(एफए) एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर के निर्गमन द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि जिसका प्रति निवेशक अभिदान 1 रु करोड़ तथा उससे अधिक हो, बशर्ते कि ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सम- समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार निर्गत किए गए हो।

(जी) ऋणदात्री संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में बेज़मानती ऋण के ज़रिए प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन लाई गई राशि -

- (i) ऐसे वित्त में अंशदान से संबंधित प्रवर्तक के दायित्व की पूर्ति में ऋणदात्री सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसरण में संबंधित ऋण लाया गया है।
- (ii) स्वयं प्रवर्तकों और/या उनके रिश्तेदारों द्वारा दिया गया ऋण, तथा न कि उनके मित्रों या कारोबारी सहयोगियों द्वारा दिया गया ऋण; और
- (iii) इस उप-खंड के अधीन केवल वित्तीय संस्था के ऋण की चुकौती होने तक ही छूट उपलब्ध होगी; उसके बाद नहीं।

(एच) पारस्परिक निधि से प्राप्त कोई राशि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियमावली, 1996 द्वारा नियंत्रित है;

(आई) ऐसे संमिश्र ऋण या गौण ऋण के रूप में प्राप्त राशि, जिनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि साठ महीने से कम न हो; बशर्ते जारीकर्ता द्वारा उक्त अवधि के अंदर वापस लेने का कोई विकल्प न हो;

(जे) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक के रिश्तेदार से प्राप्त राशि
टिप्पणी जमाकर्ता द्वारा किए गए ऐसे आवेदन पर ही, जिसमें यह निहित हो कि जमाराशि की तारीख को, वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत यथापरिभाषित रिश्तेदार की क्षमता में विशिष्ट निदेशक से संबंधित है, जमाराशि स्वीकार की जाएगी।

(के) 10 अक्टूबर 2000 के परिपत्र सं. आइईसीडी 3/08.15.01/2000-01 के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य पत्र के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि

(एल) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बेमीयादी ऋण लिखत जारी करने के माध्यम से प्राप्त कोई राशि जो कि इस संबंध में बैंक द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार हो।

(एम) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीएफ के तहत समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विशिष्ट उल्लेख के अनुसार, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि,

(xvi) 'प्रतिभूतियों' से तात्पर्य है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 42) की धारा 2(एच) में यथा परिभाषित प्रतिभूति;

(xvii) "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता लिखत, जो गैर-जमानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगा:

<u>लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि</u>	<u>बड़ा दर</u>
(ए) एक वर्ष तक	100%
(बी) एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक	80%
(सी) दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	60%
(डी) तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष तक	40%
(ई) चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक	20%

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-1 पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न होने तक;

(xviii) 'स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी' से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम 15) की धारा 12 के तहत प्राप्त पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र धारण करनेवाले स्टॉक ब्रोकर या सब-ब्रोकर का कारोबार करती है; और

(xix) 'शेयर बाज़ार' का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 42) की धारा 4 के तहत शेयर बाज़ार के रूप में पहचानी जानेवाली कंपनी।

(4) ऐसे शब्दों या अभिव्यक्तियों जिन्हें इन निदेशों में प्रयोग में लाया गया है लेकिन यहां परिभाषित नहीं किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो आरबीआई अधिनियम में निर्धारित किया गया है। ऐसे अन्य शब्दों या अभिव्यक्तियों जिन्हें इन निदेशों में प्रयोग में लाया गया है और जिनका इन निदेशों तथा अन्य निदेशों अथवा आरबीआई अधिनियम अथवा बैंक द्वारा जारी अन्य कोई निदेश में परिभाषित नहीं किया गया है; का स्थिति के अनुसार वही अर्थ होगा जो कि क्रमशः कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम 18) में निर्धारित किया गया है।

(5) (i) यदि किसी कंपनी के वित्तीय संस्था होने अथवा न होने के संबंध में प्रश्न उठता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्र सरकार के परामर्श से उस पर निर्णय लेगा और बैंक द्वारा ऐसा निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

(ii) यदि किसी कंपनी के, जो एक वित्तीय संस्था है, ऋणदाता कंपनी अथवा निवेश कंपनी अथवा परिसंपत्ति वित्त कंपनी होने के संबंध में प्रश्न उठता है तो इस संबंध में कंपनी के मुख्य व्यवसाय तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निर्णय लेगा और बैंक द्वारा लिया गया यह निर्णय सभी संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

अध्याय III

चल आस्तियों के रख-रखाव की आवश्यकता

6. प्रत्येक एनबीएफसी-डी भारत में भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में इन प्रतिभूतियों के वर्तमान अधिकतम बाजार भाव से कम दर पर दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कारोबार दिवस को इन निदेशों के पैरा 3 के उप पैरा (xv) में यथापरिभाषित शेष “जनता की जमाराशियों” का कम से कम 15% हिस्सा निवेश करेगी और प्रत्येक कारोबार दिवस अथवा किसी अन्य दिवस को यह निवेश बनाए रखेगी और

7. आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईबी के सभी अन्य प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित उक्त आवश्यकता के लिए लागू होंगे जैसे कि “जनता की जमाराशियां” का वही तात्पर्य होगा जैसा कि उक्त प्रावधान में “जमा” का है।

बशर्ते कि ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता की जमाराशियों का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों में और शेष भारमुक्त प्रतिभूतियों में निम्नानुसार निवेश करने के लिए पात्र होंगी।

- (क) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीन विकास बैंक (नाबार्ड) में आवधि जमा अथवा
- (ख) सिडबी या नाबार्ड द्वारा जारी बॉण्ड।

बशर्ते कि भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूति, आवधि जमा और बॉण्ड में निवेश की सकल राशि ऊपर बताये अनुसार जनता की जमाओं के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध

8. न्यूनतम साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

(1) (i) पच्चीस लाख रुपये तथा उससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) रखने वाली कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक वह कम-से-कम वर्ष में एक बार अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसियों में से किसी एक से जमा राशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड अथवा अन्य विनिर्दिष्ट क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं कर लेती तथा उस रेटिंग की प्रतिलिपि को विवेकपूर्ण मानदंडों पर विवरणी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज नहीं देती।

बशर्ते कि ऐसी आस्ति वित्त कंपनियां (एएफसी), जिन्हें 31 मार्च 2016 तक न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त नहीं होती है, मौजूदा जमाराशि का नवीनीकरण अथवा नई जमाराशि स्वीकार नहीं कर पायेंगी। 31 मार्च 2016 तक बीच की अवधि के लिए, गैर-रेटेड एएफसी अथवा उप-निवेश ग्रेड रेटिंग वाली कंपनियां केवल मौजूदा जमाराशियों का नवीनीकरण उनकी परिपक्वता पर कर सकती है तथा निवेश ग्रेड रेटिंग की प्राप्ति तक नई जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती।

(ii) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के पूर्व धारित स्तर से किसी स्तर पर ऊपर उठने अथवा नीचे गिरने की स्थिति में, उक्त कंपनी अपनी ऐसी रेटिंग होने के पंद्रह कार्य दिनों के भीतर ऐसी वृद्धि/ गिरावट के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगी।

9. अनुमोदित साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियां तथा न्यूनतम निवेश श्रेणी साख निर्धारण

अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसियों के नाम तथा न्यूनतम निवेश श्रेणी साख निर्धारण निम्नानुसार हैं -

एजेंसी का नाम	न्यूनतम निवेश श्रेणी साख निर्धारण
ए) भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि. (क्रिसिल)	एफए- (एफए माइनस)
बी) आइसीआरए लिमिटेड	एमए- (एमए माइनस)
सी) ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लि. (केयर)	केयर बीबीबी (एफडी)
डी) फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लि.	टीए-(इंड)(एफडी)
ई) ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)	बीडब्ल्यूआर एफबीबीबी
एफ) एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड	एसीयूआईटीई ए
(जी) इंफोमेरिकस वैल्युएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईवीआरपीएल)	आईवीआर बीबीबी

10. मांग जमाराशि स्वीकारने पर निषेध

कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जनता की जमाराशि, जो मांग पर प्रतिदेय है, स्वीकार नहीं करेगी।

11. जनता की जमाराशि की अवधि

कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं करेगी, जब तक ऐसी जमाराशि बारह महीनों की अवधि के बाद लेकिन उसकी स्वीकृति अथवा नवीकरण की तारीख से साठ महीनों की अवधि के पूर्व, प्रतिदेय न हो।

12. जमाराशि की मात्रा की उच्चतम सीमा

“एक आस्ति वित्त कंपनी अथवा एक ऋणदाता कंपनी या एक निवेश कंपनी अथवा कोई फैक्टर

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम एनओएफ रखना होगा, तथा

बी. सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना होगा।

जमाराशि स्वीकार करने की अथवा नवीनीकरण करने की तारीख को कंपनी की बही में शेष जमाराशि के साथ यह सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार कर सकती है तथा नवीनीकरण कर सकती है और जमाराशि इसकी एनओएफ के ढेड़ गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि अपनी एनओएफ से ढेड़ गुणा की सीमा अधिक जमाराशियां धारण करने वाली आस्ति वित्त कंपनी तब तक जमाराशि स्वीकार अथवा नवीनीकरण नहीं कर सकती जब तक वह संशोधित सीमा को प्राप्त न कर ले।

बशर्ते कि किसी भी अवधि पूर्ण जनता की जमाराशि का नवीकरण जमाकर्ता की सुस्पष्ट तथा स्वैच्छिक सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।

13. क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करना

उक्त पैराग्राफ 9 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशिष्ट निवेश ग्रेड से कम क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेडिंग के मामले में , एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को एक आस्ति वित्त कंपनी अथवा एक ऋण कंपनी या एक निवेश कंपनी अथवा एक फैक्टर होने के नाते उसे अपनी अतिरिक्त जमाराशियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमित करना होगा ;

ए) तत्काल प्रभाव से, नई जमाराशि स्वीकार करने को रोका जाए तथा मौजूदा जमाराशियों का नवीनीकरण नहीं किया जाए।

बी) मौजूदा जमाराशियों को उनकी परिपक्वता पर हटा दिया जाए तथा

सी) इसकी रिपोर्टिंग 15 दिनों के अंदर भारती रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को किया जाए जहां एनबीएफसी पंजीकृत है।

बशर्ते कि किसी भी अवधि पूर्ण जनता की जमाराशि का नवीकरण जमाकर्ता की सुस्पष्ट तथा स्वैच्छिक सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।

14. ब्याज दर की उच्चतम सीमा

कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, साढ़े बारह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर जनता की जमाराशि आमंत्रित अथवा स्वीकार अथवा उसका नवीकरण नहीं करेगी। ब्याज अदा किया जाएगा अथवा अंतराल शेष राशि पर संयोजित किया जाएगा। यह अंतराल मासिक अंतराल से कम नहीं होगा।]

15. अनिवासी भारतीयों से प्राप्त जमाराशियां

कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अनिवासी (बाहरी) खाता योजना के अंतर्गत [3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.5/2000-आरबी](#) के अनुसार अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तनीय जमाराशियां, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में ऐसी जमाराशियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से अधिक दर पर आमंत्रित अथवा स्वीकृत अथवा उनका नवीकरण नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण उपर्युक्त जमाराशियों की अवधि एक वर्ष से कम तथा तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

16. दलाली का भुगतान

कोई भी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी किसी भी दलाल को उसके द्वारा अथवा उसके माध्यम से संग्रहीत जनता की जमाराशि पर भुगतान नहीं करेगी -

- i) इस तरह संग्रहीत जमाराशि के दो प्रतिशत से अधिक दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन राशि अथवा किसी भी नाम से संबोधित कोई अन्य लाभ नहीं देगी; तथा
- ii) इस तरह संग्रहीत जमाराशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा प्रस्तुत संबंधित वाउचर्स/ बिलों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय की अदायगी नहीं करेगी।

17. जमाकर्ताओं को जमाराशियों की अवधिपूर्णता की सूचना देना

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह जमाराशि की अवधिपूर्णता के ब्यौरे अवधिपूर्णता की तारीख से कम से कम दो महीने पूर्व जमाकर्ता को सूचित करे।

18. जनता की जमाराशि का नवीकरण

अगर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विद्यमान जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए, अवधिपूर्णता के पूर्व जमाराशि के नवीकरण की अनुमति देती है, तो ऐसी कंपनी जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी बशर्ते -

- (i) उक्त जमाराशि का इन निदेशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार तथा मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए नवीकरण किया जाता है; तथा
- (ii) जमाराशि की समाप्त अवधि पर ब्याज उस ब्याज की दर से एक प्रतिशत बिंदु कम अदा करेगी जो वह जमाराशि को उक्त चालू अवधि के लिए स्वीकार करने पर सामान्यतः अदा करती। इस तरह घटी दर से अधिक पहले अदा किया गया कोई भी ब्याज वसूल/ समंजित किया जाएगा।

19. जनता की अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

(1) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने विवेकानुसार जनता की अतिदेय जमाराशि अथवा उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी अंश पर, जमाराशि की अवधिपूर्णता की तारीख से ब्याज अदा कर सकती है:

(i) इन निदेशों के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार अतिदेय जमाराशि की कुल राशि अथवा उसके किसी भाग का नवीकरण उसकी अवधिपूर्णता की तारीख से किसी भावी तारीख तक के लिए किया गया है;

(ii) अनुमत ब्याज उक्त अतिदेय जमाराशि की अवधिपूर्णता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा जो केवल इस तरह नवीकृत जमाराशि की रकम पर देय होगा;

बशर्त अगर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशि की अवधिपूर्णता पर जमाकर्ता द्वारा दावा किए जाने पर ब्याज सहित जमाराशि अदा करने में विफल हो जाती है तो उक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, दावे की तारीख से चुकौती की तारीख तक जमाराशि को लागू दर पर ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होगी।

(2) ऐसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के संबंध में जिसे या तो सरकारी प्राधिकारी द्वारा ज़ब्त कर लिया गया है तथा/अथवा संबंधित सरकारी प्राधिकार से आगामी सूचना प्राप्त होने तक अवरोधित (फ्रोज़ेन) किया गया है, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी:

- i. जमाकर्ता से जमाराशि की परिपक्वता पर एक अनुरोध पत्र प्राप्त किया जाए। नवीकरण हेतु जमाकर्ता से अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय, एनबीएफसी उन्हें सूचित करे कि वे इस बात का उल्लेख करें कि जमाराशि का नवीकरण कितनी अवधि के लिए किया जाना है। यदि ग्राहक नवीकरण की अवधि के विकल्प को नहीं चुनता है तब एनबीएफसी उसे मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकृत कर सकती है।
- ii. इसके लिए नई रसीद जारी करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जमा लेज़र में नवीकरण के संबंध में उचित नोटिंग की जानी चाहिए।
- iii. नवीकरण की सूचना पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से संबंधित सरकारी विभाग को देते हुए जमाकर्ता को भी सूचित किया जाए। जमाकर्ता को दी जाने वाली सूचना में नवीकृत जमाराशि के ब्याज दर का भी उल्लेख होना चाहिए।
- iv. यदि अतिदेय अवधि अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन से अधिक नहीं है तो नवीकरण परिपक्वता की तारीख से किया जा सकता है। यदि यह 14 दिनों से अधिक है, तो एनबीएफसी को उनके द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा तथा इसे ब्याज रहित उप-खाता में रखना होगा और मूल सावधि जमा की निर्मुक्ति पर अदा किया जाए।

तथापि, मूलधन तथा उस पर अर्जित ब्याज का अंतिम भुगतान संबंधित सरकारी एजेंसी से एनबीएफसी को उसके संबंध में अनापत्ति की सूचना प्राप्त होने के बाद ही किया जाए।

20. संयुक्त जमाराशि

जहां ऐसा वांछित हो, जमाराशियां संयुक्त नामों में इन वाक्यांशों अर्थात् 'कोई या जीवित', 'नम्बर एक अथवा जीवित/ जीवितों', 'कोई या जीवित/ जीवितों' शामिल करते हुए या बिना शामिल किये हुए स्वीकार की जा सकती हैं।

21. जनता की जमाराशियां मांग करनेवाले आवेदन फॉर्म में निर्दिष्ट किए जानेवाले विवरण

(1) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा आपूर्त ऐसे फार्म में किए गए लिखित आवेदन को छोड़कर जनता की कोई जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत नहीं करेगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58ए के अंतर्गत निर्मित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में निर्दिष्ट सभी विवरण होंगे और उसमें जमाकर्ता की विशिष्ट श्रेणी अर्थात् जमाकर्ता कंपनी का शेयरधारक या निदेशक या प्रमोटर या जनता का सदस्य है, इसका भी उल्लेख होगा।

(2) आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित भी होना चाहिए

(i) मीयादी जमाराशि को दी गई साख श्रेणी (क्रेडिट रेटिंग) तथा कंपनी की साख श्रेणी निर्धारण करनेवाली साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी का नाम,

(ii) इस आशय का खंड होना चाहिए कि ऐसी जमाराशि की शर्तों के अनुसार जमाराशि अथवा उसके एक भाग की चुकौती नहीं किए जाने के मामले में, जमाकर्ता कंपनी लॉ बोर्ड के पूर्वी/ पश्चिमी/ उत्तरी/ दक्षिणी (जो लागू नहीं है उन्हें हटा दें) बेंच, जिसका पता नीचे दिया गया है, से संपर्क कर सकता है।

(iii) इस आशय का खंड होना चाहिए कि जमाराशि की चुकौती में कंपनी की कोई त्रुटि के मामले में, जमाकर्ता सहायता/ राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम अथवा जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद क्षतिपूर्ति फोरम से संपर्क कर सकता है;

(iv) यह वक्तव्य कि कंपनी की प्रकट की गई वित्तीय स्थिति तथा आवेदन फॉर्म में किए गए अभिवेदन सत्य तथा सही हैं और उनकी यथातथ्यता तथा सत्यता के लिए कंपनी तथा उसका निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं;

(v) इस बात की घोषणा कि कंपनी की वित्तीय गतिविधियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। लेकिन, यह स्पष्ट रूप से अवश्य समझ लिया जाए कि कंपनी की वित्तीय शक्ति अथवा कंपनी के किन्हीं वक्तव्यों अथवा अभिवेदनों अथवा अभिव्यक्त अभिमतों की यथातथ्यता की; तथा कंपनी द्वारा जमाराशि की चुकौती/देयताओं की चुकौती संबंधी कोई भी जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक नहीं लेता है;

(vi) आवेदन फॉर्म के अंत में लेकिन जमाकर्ता के हस्ताक्षर के पहले, जमाकर्ता द्वारा सत्यापन संबंधी निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए:

'मैंने कंपनी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय ब्यौरों तथा अन्य, विवरणों/ अभिवेदनों को पढ़ा है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं इस कंपनी में अपने जोखिम पर स्वेच्छा से राशि जमा करता/ करती हूं।'

(vii) दी गई दोनों निधि तथा निधितर आधारित सुविधाओं से कुल बकाया और एक ही समूह की कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों अथवा व्यापार उद्यमों से बकाया जिनमें निदेशकों तथा/ अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पर्याप्त हित है और ऐसी सुविधाओं में निवेश की कुल राशि, इन सबसे संबंधित सूचना।

(3) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नये जमाकर्ताओं के खाते खोलने तथा जमाराशियां स्वीकार करने से पूर्व उनका उचित परिचय प्राप्त करेगी तथा अपने अभिलेख में उस साक्ष्य को रखेगी, जिस पर उक्त परिचय के लिए उसने भरोसा किया।

22. विज्ञापन तथा विज्ञापन के बदले में वक्तव्य

(1) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो जनता की जमाराशि आमंत्रित करती है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी तथा उसके अंतर्गत जारी किए जानेवाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित भी निर्दिष्ट करेगी:-

- (i) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस तथा अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ की वास्तविक दर;
- (ii) जमाराशि की चुकौती का स्वरूप;
- (iii) जमाराशि की परिपक्वता की अवधि;
- (iv) जमाराशि पर देय ब्याज
- (v) जमाकर्ता द्वारा परिपक्वता के पूर्व जमाराशि आहरण करने की स्थिति में जमाकर्ता को देय ब्याज दर;
- (vi) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन जमाराशि का नवीकरण किया जाएगा;
- (vii) जिन नियम एवं शर्तों के अधीन जमाराशि स्वीकृत/ नवीकृत की जाएगी उनसे संबंधित अन्य विशेषताएं;
- (viii) ऐसी जानकारी, उसी समूह की कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों अथवा व्यापार उद्यमों से कुल बकाया (प्रदान की गई गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित) जिनमें निदेशकों तथा/ अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पर्याप्त हित है और ऐसी कंपनियों में निवेश की कुल राशि; तथा]
- (ix) उसके द्वारा आमंत्रित जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं।

(2) जहाँ कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टी.वी. में विज्ञापन देती है, भले ही उसमें जमाराशियों के लिए आमंत्रण न हो, वहाँ वह ऐसे विज्ञापन में एक शीर्षक/बैंड शामिल करे जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

- (i) कंपनी की जमा लेने की गतिविधि के तहत जनता की जमाराशियाँ प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों/जमाराशि आवेदन पत्रों के फार्म में दी गई सूचना को दर्शक/पाठक देख सकते हैं;
- (ii) आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईए के अंतर्गत दिनांक -----को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र कंपनी के पास है। तथापि, कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की मौजूदा स्थिति या कंपनी द्वारा दिए गए किसी विवरण/वक्तव्य या निरूपण या व्यक्त किसी अभिमत/राय के सही होने एवं कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती / देयताओं को पूरा करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक कोई उत्तरदायित्व या गारंटी स्वीकार नहीं करता है।

(3) जब कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि आमंत्रित किए बिना तथा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने की अनुमति दिए बगैर या उसे ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने के लिए कारण बताये बगैर जनता की जमाराशि स्वीकार करना चाहती है तो वह ऐसी जमाराशि स्वीकार करने से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक को अभिलेख के लिए विज्ञापन के बदले में एक विवरण देगा जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (विज्ञापन) नियमावली, 1977 तथा उपर्युक्त खंड (i) में दिए विवरणों

के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जानेवाले आवश्यक सभी विवरण निहित होंगे तथा उक्त खंड (1) में उल्लिखित विवरण उक्त नियमावली में दिए गए तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित होगा।

(4) उक्त खंड (3) के तहत दिया जानेवाला विवरण, जिस वित्तीय वर्ष में वह दिया जाता है उसकी समाप्ति की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तक या जिस तारीख को आम सभा में संबंधित कंपनी के समक्ष तुलन-पत्र रखा गया उस तारीख तक या अगर किसी वर्ष की वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं की गई है तो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) के उपबंधों के अनुसार जिस अद्यतन तारीख को ऐसी बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी उस दिन तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगा और उक्त विवरण की वैधता की समाप्ति के बाद संबंधित वित्तीय वर्ष में जनता की जमाराशि स्वीकार करने के पहले प्रत्येक बादवाले वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण देना होगा।

अध्याय- V

जनता की जमाराशि की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान

23. न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती

कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि की जमानत पर कोई ऋण मंजूर नहीं करेगी या जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की अवधि (अवरुद्धता अवधि) के भीतर जनता की किसी जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती नहीं करेगी:

बशर्ते जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त धारिता के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या मृत जमाकर्ता के नामिती या कानूनी वारिस/सों को जीवित जमाकर्ता/ नामिती/ कानूनी वारिस के अनुरोध पर तथा मृत्यु का सबूत प्रस्तुत किए जाने पर ही, जिससे कंपनी संतुष्ट हो, जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती अवरुद्धता अवधि में भी कर सकती है।

24. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियों की चुकौती न होनेवाली समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

उप-पैरा (23) में निहित प्रावधानों के अधीन कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी न होनेवाली समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी,

(i) पूर्णतः अपने विवेकानुसार जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती की अनुमति दे सकती है;

बशर्ते ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद, संबंधित जमाकर्ता के अनुरोध पर उसकी अवधिपूर्व चुकौती कर सकती है, यदि ऐसी जमाराशि की स्वीकृति की शर्तों से ऐसा करना अनुमत हो।

(ii) जमाराशि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद जमाकर्ता को, उस जमाराशि को देय ब्याज दर से दो प्रतिशतता अंक अधिक की ब्याज दर पर, जनता की कुल जमाराशि के पचहत्तर प्रतिशत तक ऋण मंजूर कर सकती है।

25. समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशि की चुकौती

पैरा (23) में निहित प्रावधानों के अधीन, केवल निम्नलिखित मामलों में कोई समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती या जनता की जमाराशि पर ऋण की मंजूरी दे सकती है ताकि जमाकर्ता आकस्मिक स्वरूप के व्ययों को पूरा कर सके, अर्थात्

(i) बहुत छोटी जमाराशि को पूरी तरह चुकाना या अधिकतम 10,000 रुपये तक की जनता की कोई अन्य जमाराशि को चुकाना; या

(ii) बहुत छोटी जमाराशि पर ऋण मंजूर करना या अन्य जमाराशि पर अधिकतम 10,000 रुपये तक ऋण देना, जिनपर ब्याज दर जमाराशि पर देय ब्याज दर से 2 प्रतिशत अंक ऊपर होगी।

26. समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा विभिन्न जमाराशियों को जोड़ देना

समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अवधिपूर्व चुकौती या ऋण की मंजूरी के प्रयोजन के लिए ऐसे जमा खाते जो एकल जमाकर्ता के नाम पर हैं/सबसे पहले जिस जमाकर्ता के नाम पर हैं, उसी क्षमता में एक जमा खाते के रूप में जोड़ दिए जाएंगे ;

बशर्ते पैरा (23) में किए गए प्रावधान के अनुसार जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अवधिपूर्व चुकौती पर यह खंड लागू नहीं होगा।

27. जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती पर ब्याज दर

अगर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, पूर्णतः अपने विवेकानुसार या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जो भी मामला हो, जनता की जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के बाद परंतु उसकी परिपक्वता अवधि के पहले उसकी चुकौती करती है (इसमें जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर की गई अवधिपूर्व चुकौती भी शामिल है), तो वह निम्नानुसार दरों पर ब्याज अदा करेगी

3 महीने के बाद परंतु 6 महीने के पहले	कोई ब्याज नहीं
6 महीने के बाद परंतु परिपक्वता की तारीख से पहले	जिस अवधि तक जनता से प्राप्त जमाराशि कंपनी के पास रही है उस अवधि के लिए जनता की जमाराशि को लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा अथवा यदि उक्त अवधि के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियां जिस न्यूनतम दर पर स्वीकार की जाती है उससे 3 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए,

1. 'समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ है ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -
 - i. जो परिपक्व हुई जनता की जमाराशियों की चुकौती के लिए की गई वैध मांग को पांच कार्य दिवस के अंदर पूरा नहीं कर सकती है या उसकी चुकौती नकारती है; या

- ii. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए के तहत जो छोटे जमाकर्ता को जनता की जमाराशि अथवा उसके हिस्से की चुकौती या उस पर उपचित ब्याज की राशि अदा करने में अपनी चूक के बारे में कंपनी विधि बोर्ड को सूचित करती है; या
- iii. जमाराशि संबंधी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए चलनिधि परिसंपत्ति प्रतिभूतियों के आहरण के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करती है; या
- iv. इन निदेशों अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जनता की जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों से जनता की जमाराशि या अन्य दायित्वों की पूर्ति में चूक को टालने हेतु सहायता या रियायत या छूट के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करती है; या
- v. जिसे रिज़र्व बैंक ने स्वयं प्रेरणा से या जमाकर्ताओं से जनता की जमाराशियों की चुकौती न किये जाने संबंधी शिकायतों अथवा कंपनी के उधारदाताओं से देय राशियों की अदायगी न किये जाने संबंधी शिकायतों के आधार पर समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अभिनिर्धारित किया हो।

2. 'अत्यंत छोटी जमाराशियों' से तात्पर्य है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सभी शाखाओं के एक ही प्रकार की क्षमता के सभी एकल अथवा प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम में [जनता की जमाराशियों की कुल राशि] 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है।

अध्याय - VI

विविध निर्देश

28. जमाकर्ता को रसीद देना

(1) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक जमाकर्ता को या उसके एजेंट को या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को रसीद देगी।

(2) उक्त रसीद संबंधित कंपनी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगी तथा उस पर जमाराशि की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि अक्षरों में और अंकों में, उसपर देय ब्याज दर और जिस तारीख को जमाराशि चुकौती योग्य होगी वह तारीख होगी;

बशर्ते यदि उक्त रसीद आवर्ती जमाराशि की प्रथम किस्त के बादवाली किस्तों से संबंधित हो तो उसमें केवल जमाकर्ता का नाम और जमाराशि की तारीख और राशि निहित हो सकती है।

29. जमाराशि की पंजी

(1) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सभी जमाराशियों के संबंध में एक या अधिक पंजियां रखेगी जिसमें/जिनमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् -

- i) जमाकर्ता का नाम और पता
- ii) प्रत्येक जमाराशि की तारीख और राशि
- iii) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और नियत तारीख

- iv) प्रत्येक जमाराशि पर उपचित ब्याज का दिनांक और राशि अथवा प्रीमियम
- v) जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख
- vi) मूलधन, ब्याज अथवा प्रीमियम की प्रत्येक चुकौती की तारीख और राशि
- vii) चुकौती में पांच कार्य दिवस से अधिक समय के विलंब के कारण
- viii) जमाराशि से संबंधित कोई अन्य विवरण

(2) उपर्युक्त पंजी अथवा पंजियां कंपनी की उस प्रत्येक शाखा में रखी जाएगी/ जाएंगी जिस शाखा द्वारा संबंधित जमा खाता खोला गया है तथा सभी शाखाओं की एक समेकित पंजी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और संबंधित पंजी में जिस किसी जमाराशि के विवरण निहित हैं उसकी चुकौती या नवीकरण की अद्यतन प्रविष्टि जिस वित्तीय वर्ष में की गई है उस वर्ष के बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्ष तक की अवधि के लिए उसे अच्छी स्थिति में परिरक्षित की जाएगी;

बशर्ते यदि वह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसरण में अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर, उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट खाता बहियां रखती है, तो इस खंड के साथ उसे पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा, यदि उपर्युक्त पंजी ऐसे किसी अन्य स्थान पर इस शर्त के साथ रखी जाती है कि उक्त उप-धारा के परंतुक के तहत कंपनी पंजीयक के पास दर्ज की गई नोटिस की प्रति, उसके दर्ज किए जाने के दिन से सात दिन के अंदर उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक को सुपुर्द करती है।

30. जमाराशियों के संग्रहण के लिए शाखाएं और एजेंटों की नियुक्ति

(1) नीचे उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी शाखा नहीं खोलेगी या जमाराशियों के संग्रहण के लिए एजेंटों को प्रतिनियुक्ति नहीं करेगी

- (i) ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास आरबीआई अधिनियम, की धारा 45-आइए के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र है और जो इन निदेशों के पैरा 12 के अनुसार जनता की जमाराशियां स्वीकार करने हेतु अन्यथा पात्र है, अपनी शाखा खोल सकती है या एजेंटों को नियुक्त कर सकती है यदि उसकी

(ए) निवल स्वाधिकृत निधियां 50 करोड़ रु. तक हैं	उस राज्य के अंतर्गत जिसमें उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है और
(बी) निवल स्वाधिकृत निधियां 50 करोड़ से अधिक हैं और उसका ऋण पात्रता श्रेणी निर्धारण एए या उससे ऊपर है	भारत में कहीं भी

(2) (i) कोई शाखा खोलने के लिए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रस्तावित शाखा खोलने की अपनी इच्छा रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी;

(ii) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में या संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में या अभिलिखित किए जानेवाले किसी अन्य संगत कारणों के लिए उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है और इस बात की सूचना संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को दे सकता है;

(iii) यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक से उपर्युक्त (ii) के अधीन किए प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की सूचना नहीं भेजी जाती है तो संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने प्रस्ताव पर अगली कार्रवाई शुरू कर सकती है।

31. शाखाएं बंद करना

(1) कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी शाखा/ कार्यालय को, राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र में अथवा संबंधित स्थान में परिचालित स्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र में अपनी शाखा/ कार्यालय को बंद करने का इरादा जिसमें उद्देश्य तथा जमाकर्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराते रहने की व्यवस्था आदि के बारे में प्रकाशित किए बगैर तथा प्रस्तावित समापन के 90 दिन पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए बगैर बंद नहीं कर सकती है।

(2) उक्त के संबंध में समाचार पत्र में इसके प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर सूचना की एक प्रति के साथ जानकारी बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का प्रधान कार्यालय स्थित है।

32. आरबीआई अधिनियम की धारा 4 5क्यूबी (QB) के अंतर्गत नामांकन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 क्यूबी के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बी.आर.अधिनियम) की धारा 45 ज़ेडए के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसे, जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के निधन पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशि लौटायी जाएगी। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 ज़ेडए के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985, ही संबंधित नियम हैं। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाकर्ताओं द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में किये गये नामांकनों को स्वीकार करें।

33. चल परिसंपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा/सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूलना

(1) प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को -

(i) किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में ग्राहकों के सहायक सामान्य लेज़र खाता अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत किसी निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से किसी निक्षेपागार में डीमैट खाता खोलना होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिनियम की धारा 45 आईबी और इन निदेशों के अध्याय III में विनिर्दिष्ट के उपबंधों के अनुसार भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों को ऐसे सीएसजीएल खाते अथवा डीमैट खाते में रखना अपेक्षित है।

(ii) जिस स्थान पर गैर बैंकिंग कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, वहां के एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को प्राधिकृत बैंकर के रूप में नामित करेंगे और इन निदेशों के अध्याय III में विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसार ऐसे बैंक अथवा एसएचसीआईएल को उनके द्वारा किसी वाणिज्यिक बैंक में रखे जा रहे भारमुक्त मीयादी जमाओं और ऐसे भारमुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों जो डीमैट फार्मेट में नहीं हैं, को भौतिक रूप में सौंप देंगे;

और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार ऐसे वाणिज्यिक बैंक का नाम और पता की सूचना बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को लिखित रूप में देंगे, जिसके क्षेत्राधिकार में ये आते हैं, जहाँ उन्होंने सीएसजीएल खाता खोला है अथवा जहाँ भौतिक रूप में प्रतिभूति रखी है, अथवा जिस स्थान पर एसएचसीआईएल खाता खोला है अथवा जहाँ भौतिक रूप में प्रतिभूति रखी है अथवा निक्षेपागार (और निक्षेपी सहभागी), जहाँ इसने डीमैट खाता रखा है।

बशर्ते कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है उस स्थान से इतर अन्य किसी स्थान पर नामित बैंकर या एसएचसीआईएल के पास उक्त खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां सौंपना चाहती है तो वह प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय की लिखित पूर्वानुमति से ऐसा कर सकती है, जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है ।

इसके साथ ही, बशर्ते कि उक्त सीएसजीएल खाते में या डीमैट खाते में रखी सरकारी प्रतिभूतियों का रिवर्स तैयार वायदा संविदा सहित न तो तैयार वायदा संविदा में और न ही इसके बाद विनिर्दिष्ट क्रियाविधि तथा सीमा के अनुसरण के अलावा अन्यथा व्यापार किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त उप-पैरा (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्ताओं के लाभार्थ, उक्त पैरा में यथाविनिर्दिष्ट रखी जाती रहेंगी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से जमाकर्ताओं को चुकौती के प्रयोजन के अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उसका आहरण या नकदीकरण या अन्य कोई व्यवहार नहीं करेगी;

बशर्ते,

(i) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी जनता की जमाराशि की कटौती के अनुपात में, लेखापरीक्षक द्वारा उक्त कटौती को विधिवत् प्रमाणित किये जाने पर ऐसी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा आहरित कर सकती है।

(ii) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, वास्तविक रूप में रखी ऐसी प्रतिभूतियों के बदले में दूसरी प्रतिभूतियां रखना चाहती है तो नामित बैंक अथवा एसएचसीआईएल को ऐसे आहरण के पहले समान मूल्य की प्रतिभूतियां सौंपकर वह ऐसा कर सकती है; और

(iii) इन प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य किसी भी समय इन निदेशों के अध्याय III में यथाविनिर्दिष्ट, जनता की जमाराशियों की प्रतिशतता से कम नहीं होगी।

(3) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या तो रिवर्स तैयार वायदा संविदा सहित तैयार वायदा संविदा द्वारा या अन्यथा, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करना चाहती है जो उक्त अधिनियम की धारा 45-आईबी और इन निदेशों के अध्याय III में यथाविनिर्दिष्ट के तहत आवश्यक अपेक्षा से अधिक रखी गई है, तो वह अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक अलग सीएसजीएल या डीमैट खाता खोलकर कर सकती है।

(4) जमाकर्ताओं के हित को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम की धारा 45-आईबी के अनुपालन के उद्देश्य से रखी जाने वाली प्रतिभूतियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनिवार्यतः सीएसजीएल अथवा डीमैट खाते रखे जाएंगे। इस खाते का परिचालन केवल जनता की जमाओं की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी के कारण प्रतिभूतियों की बिक्री और क्रय अथवा परिपक्वता के पश्चात प्रतिभूतियों को नकदीकरण कराने अथवा विशेष परिस्थितियों में जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान के लिए किया जा सकता है।

(5) यह संभव है कि कुछ सरकारी प्रतिभूति/सरकारी गारंटीकृत बॉण्ड को डीमैट नहीं कराया जा सका हो और इन्हें भौतिक रूप में ही रखा जा रहा हो और जिसे नामित बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा से ब्याज की उगाही के लिए निकाला जाए एवं ब्याज की उगाही के पश्चात पुनः बैंक के पास जमा करा दिया जाए। निकासी और पुनः जमा कराने की इस प्रक्रिया से बचने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों नामित बैंक को नियत तिथि पर भौतिक रूप में रखी जाने वाली इन प्रतिभूतियों के लिए ब्याज की उगाही और इनके सुरक्षित रख-रखाव हेतु एजेंट के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों नामित बैंक को नियत तिथि पर भौतिक रूप में रखी जाने वाली प्रतिभूतियों/गारंटीकृत बॉण्डों के लिए ब्याज की उगाही करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उनके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकती है।

34. कर्मचारी जमानत जमा

कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में अपने किसी कर्मचारी से उसके कार्यों के उचित निष्पादन के लिए जमानत के रूप में कोई रकम प्राप्त करती है तो उक्त रकम कर्मचारी और कंपनी के संयुक्त नामों से अनुसूचित वाणिज्य बैंक अथवा डाक घर में निम्नलिखित शर्तों पर रखी जाएगी

(i) कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना कंपनी उक्त राशि आहरित नहीं करेगी; तथा

(ii) उक्त राशि ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित कर्मचारी को प्रतिदेय होगी, अगर ऐसी राशि या उसका कुछ भाग कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों के उचित निष्पादन में विफल होने के कारण कंपनी विनियोजित करने के लिए बाध्य न हो।

35. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में समाविष्ट की जानेवाली जानकारी

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के तहत संबंधित कंपनी की आम सभा के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की प्रत्येक रिपोर्ट में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मामले में निम्नलिखित विवरण या जानकारी शामिल की जाएगी, अर्थात्

(i) कंपनी में जनता की जमाराशि के खातों की कुल संख्या, जिनकी चुकौती के लिए जमाराशि देय हो जाने की तारीख के बाद जमाकर्ताओं ने दावा नहीं किया है या कंपनी द्वारा उन्हें अदा नहीं किया गया है; और

(ii) उपर्युक्त खंड (i) में निर्दिष्ट तारीखों के बाद दावा न किए गए या अदत्त रहे ऐसे खातों के अधीन कुल देय राशियां।

(2) उपर्युक्त विवरण या जानकारी, संबंधित रिपोर्ट जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति से संबंधित होगी और पूर्ववर्ती उप-धारा के खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट, दावा न की गई या वितरित न की गई शेष राशि का कुल यदि पांच लाख रुपए की राशि से अधिक होता है तो उक्त रिपोर्ट में, दावा न की गई या वितरित न की गई जमाकर्ताओं को देय राशियों की चुकौती के लिए निदेशक मंडल द्वारा उठाए गए/ उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों संबंधी एक विवरण भी शामिल किया जाएगा।

36. रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जानेवाले तुलनपत्र और खातों के साथ निदेशक रिपोर्ट, खातों पर टिप्पणियां तथा विवरणियों की प्रतियां

(1) जनता की जमाराशियां स्वीकारने/ धारित करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, कंपनी द्वारा आम सभा में पारित उक्त वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित लाभ-हानि लेखा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 1) की धारा 217(1) के अनुसार उक्त आम सभा में कंपनी के समक्ष प्रस्तुत निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति, उक्त आम सभा के पंद्रह दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाए तथा उसी के साथ कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा लेखों पर टिप्पणियों की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाए।

37. पते, निदेशकों, लेखा परीक्षकों इत्यादि में परिवर्तन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी

प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित मामलों में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में, ऐसा परिवर्तन घटित होने के एक महीने के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी:

- (i) पंजीकृत/ कॉर्पोरेट कार्यालय का पूर्ण डाक पता, टेलीफोन नंबर तथा फैक्स नंबर;
- (ii) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;
- (ii) अपने प्रधान अधिकारियों के नाम तथा आधिकारिक पदनाम;
- (iv) कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर;
- (v) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा कार्यालय का पता।

38. जनता की जमाओं की सुरक्षा- चलनिधि आस्तियों पर चल (फ्लोटिंग) प्रभार का सृजन

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा स्वीकार की गयी जनता की जमाराशियों के लिए हमेशा पूर्ण कवर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(1) इस कवर की गणना करते समय सभी (सुरक्षित/असुरक्षित) डिबेंचरों की कीमत तथा सभी वाह्य देयताओं, जो जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं से भिन्न हों, को कुल परिसंपत्तियों में से घटा दिया जाए। इसके अलावा, एतदर्थ परिसंपत्तियों का मूल्य बही मूल्य या वसूलनीय/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर आंका जाए। संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि उपर्युक्तानुसार आकलित परिसंपत्तियाँ यदि जनता की जमाराशियों के प्रति देयताओं को कवर करने से कम हों तो वह रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करे। जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली/ जमाराशियों की धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश दिया गया था कि वे अधिनियम की धारा 45-आईबी के अनुसार निवेशित सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें। ऐसे प्रभार कंपनी अधिनियम 1956 के आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत पंजीकृत होने चाहिए।

(2) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईबी एवं समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार रखी गई सांविधिक चल परिसंपत्तियों पर "न्यास विलेख" क्रियाविधि से अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार सृजित करें। इस प्रभार को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवाना है और इस संबंध में सूचना न्यासियों और बैंक को प्रदान करनी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस संबंध में विवरण को शामिल करते हुए 'न्यास विलेख का प्रारूप' [अनुलग्नक -II](#) में संलग्न है। 'न्यासी दिशानिर्देश' [अनुलग्नक III](#) में संलग्न है।

39. जनता की जमाराशियों की चुकौती में विफल रही गैर बैंकिंग कंपनी को ऋण देने और निवेश करने से रोकना

कोई गैर बैंकिंग कंपनी यदि जनता की जमाराशियों को आरबीआई अधिनियम की धारा 45क्यूए (1) के प्रावधानों के तहत पूरी तरह अथवा इसके किसी भाग को ऐसी जमाओं की शर्तों के अनुसार चुकौती नहीं कर सकती है तो यह ऐसी चूक बरकरार रहने तक किसी को ऋण अथवा किसी भी नाम से कोई उधार नहीं दे सकती और कोई निवेश नहीं कर सकती अथवा कोई अन्य आस्ति सृजित नहीं कर सकती है।

40. जमीन और भवन तथा सूची से इतर के शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

(1) जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली कोई भी एएफसी निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी-

क. अपनी स्वाधिकृत निधि के अधिकतम दस प्रतिशत की राशि के तुल्य स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी जमीन अथवा भवन पर;

ख. अपनी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक की राशि के तुल्य ऐसी किसी दूसरी कंपनी, जोकि सहायक कंपनी अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समान समूह में है; की सूची में शामिल नहीं किये गए शेयरों पर;

(2) जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली कोई भी ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी-

क. अपनी स्वाधिकृत निधि के अधिकतम दस प्रतिशत की राशि के तुल्य स्वयं के उपयोग के लिए अतिरिक्त अन्य किसी जमीन अथवा भवन पर;

ख. अपनी स्वाधिकृत निधि के बीस प्रतिशत से अधिक की राशि के तुल्य ऐसी किसी दूसरी कंपनी, जोकि सहायक कंपनी अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समान समूह में है; की सूची में शामिल नहीं किये गए शेयरों पर;

बशर्ते कि अपने कर्ज को समायोजित करने की प्रक्रिया में अर्जित जमीन अथवा भवन अथवा सूची में शामिल नहीं किये गए शेयर को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा तीन वर्षों की अवधि के भीतर अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ऐसी आस्तियों में इन आस्तियों में कुल निवेश उपर्युक्त सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे अभिग्रहण की तिथि से बैंक द्वारा आगे बढ़ाई गई अवधि तक इनका निपटान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - सूची में शामिल नहीं शेयरों में निवेश की गणना करते समय, सभी कंपनियों द्वारा ऐसे शेयरों में निवेश की गणना की जाएगी।

साथ ही यह कि सूची में शामिल नहीं शेयरों में निवेश पर सीमा बीमा कंपनी के शेयर पूँजी में बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत सीमा तक निवेश के संबंध में यह लागू नहीं होगा किसी आस्तित्व वित्त कंपनी अथवा किसी ऋण कंपनी अथवा किसी निवेश कंपनी के लिए।

अध्याय- VII

रिपोर्टिंग की आवश्यकता

41. एनबीएफसी-डी के संबंध में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं का अनुपालन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा किया जाएगा।

अध्याय- VIII

व्याख्या

42. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बैंक को यदि आवश्यक लगे तो, इनमें शामिल किसी विषय के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और निदेशों के किसी प्रावधान के बारे में बैंक द्वारा की गई व्याख्या अंतिम होगी और सभी संबंधित पक्षों के लिए इसका पालन बाध्यकारी होगा। निदेशों का अनुपालन न करने पर आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ये प्रावधान लागू होने के समय से ही किसी अन्य विधि, नियम, विनियम अथवा निदेश के अतिरिक्त होंगे और न कि उसकी अवमानना में।

43. इसके साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी 114/ डीजी(एसपीटी)-98 में निहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 के अधिक्रमण से निम्नलिखित पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा -

(i) उसके अंतर्गत अर्जित, उपचित अथवा हुआ कोई अधिकार, दायित्व अथवा देयता;

- (ii) उसके अंतर्गत किए गए उल्लंघन के संबंध में हुआ कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड; और
- (iii) ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, देयता, दण्ड, जब्ती अथवा दण्ड के संबंध में उक्त निदेशों के अंतर्गत कोई छानबीन, विधिक कार्रवाई अथवा उपाय; और ऐसी कोई छानबीन, विधिक कार्रवाई या कार्रवाई की जाए, जारी रखी जाए या लागू की जाए और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड लगाया जाए मानो जैसे इन निदेशों का अधिक्रमण हुआ ही नहीं है।

अध्याय - IX वापस लिए गए प्रावधान

44. इन निदेशों के जारी किये जाने के साथ ही बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों में दिये गए निर्देश/ दिशा-निर्देश वापस (नीचे दी गई सूची के अनुसार) लिये जाते हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अंतर्गत दिये गए सभी अनुमोदनों/ स्वीकृतियों को इन निदेशों के अंतर्गत दिया गया समझा जाएगा। परिपत्रों को वापस लिए जाने के होते हुए, वापस लिए गए निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की गई /तथाकथित रूप से की गई अथवा आरंभ की गई कोई कार्रवाई उल्लिखित निर्देशों/दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निर्देशित होंगी।

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1	डीएफसी(सीओसी)सं.111/ईडी(एसजी)/97	18 जून 1997	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1977
2	डीएनबीएस(सीओबीडब्ल्यू)सं.सी सी02/02.01/97-98	01 जनवरी 1998	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998-जमाराशि स्वीकार करने वाली गतिविधियों पर विनियमन (अधिसूचना संख्या 114, दिनांक 02-01-1998)
3	अधिसूचना डीएफसी.114/डीजी(एसपीटी)-98	02 जनवरी 1998	एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
4	डीएनबीएस पीडी.सं.सीसी04/02.01/97-98	31 जनवरी 1998	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998-जमाराशि स्वीकार करने वाली गतिविधियों पर विनियमन (अधिसूचना संख्या 114, दिनांक 02-01-1998)
5	अधिसूचना सं.डीएनबीएस.127सीजीएम(वी एसएनएम)-98	18 दिसंबर 1998	एनबीएफसी - जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998

6	डीएनबीएस.(पीडी)सीसी.11/02 .01/99-2000	15 नवंबर 1999	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
7	अधिसूचना सं. डीएनबीएस.134/सीजीएम(वीए सएनएम)-2000	13 जनवरी 2000	एनबीएफसी - जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998
8	अधिसूचना सं. डीएनबीएस.141/ सीजीएम(वीएसएन एम)-2000	30 जून 2000	एनबीएफसी - जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998
9	डीएनबीएस(पीडी) सीसी.सं.14/02.01/2000-01	31 मार्च 2001	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन- ब्याज दर में सीमा निर्धारण
10	डीएनबीएस(पीडी) सीसी.सं.16/02.01/2000-01	27 जून 2001	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
11	डीएनबीएस(पीडी) सीसी.सं.18/02.01/2001-02	01 जनवरी 2002	एनबीएफसी हेतु आरबीआई विनियमन
12	डीएनबीएस(पीडी) सीसी.सं.21/02.01/2002-03	01 अक्टूबर 2002	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - विनियमन में संशोधन (i) सरकारी प्रतिभूतियों में अंतरण
13	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 27/02.05/2003-04	28 जुलाई 2003	एनबीएफसी जमाओं के लिए आरबीआई अधिनियम की धारा 45क्यूबी के अंतर्गत नामांकन नियम
14	अधिसूचना डीएनबीएस.170/सीजीएम(ओ पीए)-2003	31 जुलाई 2003	एनबीएफसी - जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998
15	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 30/02.01/2003-04	17 सितंबर 2003	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 - एनआरआई जमाओं पर ब्याज दर
16	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.32 /02.01/2003-04	28 अक्टूबर 2003	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एमएनबीएस) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) एनआरआई जमाओं पर ब्याज दर
17	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 33/02.01/2003-04	30 अक्टूबर 2003	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एमएनबीएस) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) एनआरआई जमाओं पर ब्याज दर
18	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 36/02.01/2003-04	20 अप्रैल 2004	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एमएनबीएस) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग

			कंपनी (आरएनबीसी) एनआरआई जमाओं पर ब्याज दर
19	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 37/02.02/2003-04	17 मई 2004	एसएलआर प्रतिभूतियों पर ब्याज का संग्रहण
20	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.44 /02.01/2004-05	05 अक्टूबर 2004	जनता की जमाराशियों अथवा जमाओं का परिपक्वतापूर्व भूगतान
21	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 47/02.01/2004-05	07 फरवरी 2005	“जनता की जमाओं” के लिए कवर
22	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.60 /02.01/2005-06	09 दिसंबर 2005	जनता की जमाराशियों अथवा जमाओं का परिपक्वतापूर्व भूगतान
23	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 85/03.02.089/2006-07	06 दिसंबर 2006	वार्षिक नीति 2006-07 की मध्यवर्ती समीक्षा
24	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 87/03.02.004/2006-07	04 जनवरी 2007	जनता की जमाओं के लिए कवर- चलनिधि आस्तियों पर चर प्रभार का सृजन
25	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 91/03.02.034/2006-07	04 अप्रैल 2007	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन
26	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 92/03.02.089/2006-07	24 अप्रैल 2007	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन - ब्याज दर की सीमा निर्धारित करना
27	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 131/03.05.002/2008-09	29 अक्टूबर 2008	पूँजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए एनबीएफसी के पूँजी प्रापण विकल्प का उन्नयन
28	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 203/03.10.001/2010-11	22 अक्टूबर 2010	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सीसीएफ के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) द्वारा जारी दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बांड
29	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 272/03.10.01/2011-12	11 मई 2012	जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998- पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी- ब्रिकवर्क रेटिंग प्रा लि (ब्रिकवर्क) द्वारा सावधि जमाओं की रेटिंग
30	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 350/03.02.001/2013-14	04 जुलाई 2013	जनता की अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
31	डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं. 410/03.10.001/2014-15	25 सितंबर 2014	एनबीएफसी की सावधि जमाओं की रेटिंग- पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी- एसएमई रेटिंग

			एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए)
32	डीएनबीआर.(पीडी).सीसी.सं. 018/03.10.001/2014-15	06 फरवरी 2015	एनबीएफसी की सावधि जमाओं की रेटिंग- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क) के रेटिंग स्केल में परिवर्तन
33	डीएनबीआर.(पीडी).सीसी.सं. 021/03.10.001/2014-15	20 फरवरी 2015	एनबीएफसी द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एन्सीडी) का निजी प्लेसमेंट करके पैसा प्राप्त करना
34	डीएनबीआर.010/सीजीएम(सी डीएस)-2015	27 मार्च 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 - (संशोधन)

मनोरंजन मिश्रा
(मुख्य महाप्रबंधक)

पहली अनुसूची

(कृपया निदेश का पैराग्राफ सं.33 देखें)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र

[कार्यालय के नाम और पते

क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र

- | | |
|---|---|
| 1. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय,
पहली मंजिल, मेन बिल्डिंग
गांधी पुल के पास,
अहमदाबाद - 380 014. | गुजरात राज्य तथा संघशासित क्षेत्र
दमन और दीव तथा दादरा
और नागर हवेली |
| 2. बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय,
10-3-8, नृपतुंगा रोड,
बंगलूर - 560 002. | कर्नाटक राज्य |
| 3. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय,
होशंगाबाद रोड,
पोस्ट बॉक्स सं.32,
भोपाल - 462 011. | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
राज्य |
| 4. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय,
पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग
पोस्ट बैग सं. 16,
भुवनेश्वर - 751 001. | उड़ीसा राज्य |
| 5. कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय,
15, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता - 700 001. | सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य
तथा संघशासित क्षेत्र अंदमान और
निकोबार द्वीप समूह |
| 6. चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय,
11, सेन्ट्रल विस्टा
नया कार्यालय भवन
टेलीफोन भवन के सामने
सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017. | हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और
संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ |

- | | | |
|-----|---|--|
| 7. | चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय,
फोर्ट ग्लासिस, राजाजी पथ,
चेन्नै - 600 001. | तमिलनाडु राज्य तथा
संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी |
| 8. | गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय,
स्टेशन रोड, पान बाज़ार,
पोस्ट बॉक्स सं.120,
गुवाहाटी - 781 001. | अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,
मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और
त्रिपुरा राज्य |
| 9. | हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय,
6-1-56, सेक्रेटेरियट रोड,
सैफाबाद,
हैदराबाद - 500 004. | आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना |
| 10. | जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
राम बाग सर्कल,
टॉक रोड, पी.बी. सं.12,
जयपुर - 302 004. | राजस्थान राज्य |
| 11. | जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स,
पोस्ट बैग सं.1,
जम्मू - 180 012. | जम्मू और कश्मीर राज्य |
| 12. | कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय
महात्मा गांधी मार्ग,
कानपुर - 208 001. | उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
राज्य |
| 13. | मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तीसरी मंजिल,
मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने,
भायखला,
मुंबई - 400 018. | गोवा और महाराष्ट्र राज्य |
| 14. | नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय,
6, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001. | हरियाणा राज्य और दिल्ली के
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र |
| 15. | पटना क्षेत्रीय कार्यालय,
गांधी मैदान के दक्षिण, | बिहार और झारखण्ड राज्य |

पोस्ट बैग सं.162,
पटना-800 001.

16. तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालय,
बेकरी जंक्शन,
तिरुवनन्तपुरम-695 033.

केरल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र
लक्षद्वीप

सरकारी एनबीएफसी के लिए समय-सीमा

मानदंड	अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान	सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा								
विवेकपूर्ण विनियमन										
आय निर्धारण	निर्धारित किये अनुसार	31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के अनुसार								
आस्ति वर्गीकरण	एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी- 90 दिन मानदंड एनबीएफसी-एनडी- 180 दिन मानदंड	एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी - डी 120 दिन- 31 मार्च 2019 90 दिन- 31 मार्च 2020 एनबीएफसी-एनडी 180 दिन मानदंड- 31 मार्च 2019								
आवश्यक प्रावधानीकरण	एनपीए के लिए - निदेश में दिये अनुसार मानक आस्तिर्यों के लिए एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी -0.40% एनबीएफसी-एनडी- 0.25%	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार- निर्धारित मानदंड का 100%								
एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी के लिए लागू पूँजी पर्याप्तता	सीआरएआर- 15% टिएर- 1-10%	<table border="1"> <tr> <td>10% (न्यूनतम टिएर I - 7%);</td> <td>31 मार्च 2019</td> </tr> <tr> <td>12% (न्यूनतम टिएर I - 8%);</td> <td>31 मार्च 2020</td> </tr> <tr> <td>13% (न्यूनतम टिएर I - 9%);</td> <td>31 मार्च 2021</td> </tr> <tr> <td>15% (न्यूनतम टिएर I -10%)</td> <td>31 मार्च 2022</td> </tr> </table>	10% (न्यूनतम टिएर I - 7%);	31 मार्च 2019	12% (न्यूनतम टिएर I - 8%);	31 मार्च 2020	13% (न्यूनतम टिएर I - 9%);	31 मार्च 2021	15% (न्यूनतम टिएर I -10%)	31 मार्च 2022
10% (न्यूनतम टिएर I - 7%);	31 मार्च 2019									
12% (न्यूनतम टिएर I - 8%);	31 मार्च 2020									
13% (न्यूनतम टिएर I - 9%);	31 मार्च 2021									
15% (न्यूनतम टिएर I -10%)	31 मार्च 2022									
लीवरेज अनुपात	एनबीएफसी-एनडी पर लागू	सरकारी एनबीएफसी-एनडी द्वारा 31 मार्च 2022 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए।								

मानदंड	अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान	सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा
ऋण/निवेश का संकेन्द्रन	निर्धारित किये अनुसार	किसी विशेष क्षेत्र में सेवा के लिए गठित सरकारी कंपनियों, इस संदर्भ में छूट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकती हैं, यदि जरूरत हो तो। अन्य सभी के लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र होगा।
अन्य		
कारपोरेट गवर्नेंस इत्यादि	निर्धारित किये अनुसार	31 मार्च 2019 का तुलन पत्र
कारोबार विनियमन आचरण (उचित आचार संहिता)	निर्धारित किये अनुसार	31 मार्च 2019 का तुलन पत्र
जमाराशि स्वीकार करने संबंधी निदेश		
जमा संबंधी निदेश	एनबीएफसी-डी के लिए किये गए निर्धारण के अनुसार	<ul style="list-style-type: none"> जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग- 31 मार्च 2019 निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाली कोई सरकारी एनबीएफसी-डी अपने एनओएफ के केवल 1.5 गुणा जमाराशि स्वीकार कर सकती है। तय सीमा से अधिक जमाराशि रखने वाली सरकारी एनबीएफसी नयी जमाराशियां स्वीकार नहीं करेगी अथवा उपलब्ध तय सीमा के भीतर आने तक वर्तमान में जमाराशियों को नवीनीकृत नहीं करेगी। वर्तमान में उपलब्ध जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक रख सकते हैं। अन्य सभी निदेश 31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के लागू होंगे।
सांविधिक प्रावधान		

मानदंड	अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान	सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा
धारा 45 आईबी	आस्तियों के प्रतिशत को बनाये रखना- बकाया जमाराशियों का 15%	31 मार्च 2019- बकाया जमाराशियों का 5% 31 मार्च 2020- बकाया जमाराशियों का 10% 31 मार्च 2021- बकाया जमाराशियों का 12% 31 मार्च 2022- बकाया जमाराशियों का 15%
धारा 45 आईसी	आरक्षित निधि	31 मार्च 2019

अनुलग्नक II

न्यास करार प्रारूप

यह न्यास करार ---- में दिनांक --- 2007 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित ---- कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय --- में है (इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) एक पक्ष है और --- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित कंपनी लिमिटेड/---- अधिनियम के तहत स्थापित/गठित ---- बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय ---- में है, न्यासी (इसके पश्चात न्यासी कहा जाएगा) के रूप में दूसरा पक्ष है।

जहां अपने एसोसिएशन प्रलेख द्वारा कंपनी उधार लेने अथवा जमा स्वीकार करके पैसे के भुगतान की उगाही और सुरक्षा के लिए प्राधिकृत है।

और जहां कंपनी के निदेशकों को विभिन्न योजनाओं के तहत जनता से जमा स्वीकार करने के लिए दिनांक ---- 200--- को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प द्वारा निर्धारित कंपनी के एसोसिएशन प्रलेख द्वारा समुचित रूप से प्राधिकृत किये जा रहे हों।

और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित इस निदेश के अध्याय III की शर्तों के अधीन बैंक में जमा मीयादी जमाओं पर जमाकर्ताओं के लिए प्रभार का निर्माण किया जाएगा।

और जहां कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत खरीदे गए प्रतिभूतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित इस निदेश के अध्याय III की शर्तों के अधिन बैंक में जमा आवधि जमाओं पर जमाकर्ताओं के लिए प्रभार का सृजन किया जाएगा।

और जहां उक्त उल्लिखित न्यासी इसके निदेशक बोर्ड द्वारा पारित दिनांक ----- के अपने संकल्प द्वारा जमाकर्ताओं के न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

अब यह करार साक्षी है और निम्नलिखित पक्षों के द्वारा और बीच में पारस्परिक सहमति के आधार पर घोषित करते हैं:-

1. जब तक विषय अथवा संदर्भ में कुछ असंगत नहीं हो तब तक निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहां दिया गया है-

- (क) "कंपनी" का तात्पर्य है मेसर्स----- कंपनी लिमिटेड।
- (ख) "न्यासी" का तात्पर्य है कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित ----- कंपनी लिमिटेड/--- अधिनियम के तहत गठित/स्थापित ----- बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय ---- में है।
- (ग) "जमा" का तात्पर्य है कंपनी द्वारा बकाया के रूप में ली गई और इसके लिए कुछ लाभ के साथ स्वीकार की गई जमा राशि।
- (घ) "जमाकर्ता" का तात्पर्य है एक निर्धारित अवधि के लिए जमा रसीद का धारण करना और जमाओं के धारक के पक्ष में जमा प्रमाणपत्र में उल्लिखित अनुसार जमाकर्ता के रजिस्टर में प्रविष्टी किया जाना।
- (ङ) "प्रभारित प्रतिभूतियां" ऐसी प्रतिभूतियां जिसे कंपनी द्वारा लिया गया हो और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईबी के प्रावधानों के तहत इन्हें निवेशित किया गया हो (-----द्वारा संचालित सीएसजीएल खाता संख्या ----- और /अथवा मेसर्स के पास जमा डीमैट प्रतिभूतियों में, डिपॉजिटरी और भौतिक स्वरूप में और/अथवा बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार बैंक में जमा सावधि जमा)।
- (च) "अधिनियम" का तात्पर्य है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और कोई परिवर्तन अथवा पुनः लागू करना।
- (छ) "निर्दिष्ट बैंकर" का तात्पर्य है वह बैंक जिसमें कंपनी प्रभारित प्रतिभूतियों और उसका कोई हिस्सा रखती है, जिसकी सूचना न्यासी और भारतीय रिज़र्व बैंक को देनी होती है।

जब तक कि पाठ से विपरीत अर्थ प्रतीत नहीं हो तब तक एक वचन में उल्लिखित शब्द, बहुवचन और इसके विपरीतार्थ में शामिल है।

2. इन लाभों के लिए पात्र जमाओं में जमाकर्ताओं द्वारा कंपनी में पहले से जमा की गई कुल जमाराशि होगी तथा भविष्य में जारी करने की तारीख या अन्यथा कारण से वरियता देने अथवा प्राथमिकता दिए बिना समान श्रेणी शामिल होंगी और यह प्रतिभूतियों में प्रभारित प्रभार द्वारा सुरक्षित होंगी।

3. कंपनी न्यासी को यहां यह वचन देती है कि जमाओं की परिपक्वता पर अथवा जमाराशि देय होने वाली ऐसी किसी पूर्व तिथि पर (संबंधित जमाओं की परिपक्वता अवधि पूरी होने के पश्चात ये जमा परिपक्व हो जाएंगी) जमाकर्ताओं को उनकी जमाओं द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान करेगी और बीच की अवधि में जमाकर्ताओं द्वारा चुने गए ब्याज के लिए मासिक अथवा आवधिक भुगतान चुने जाने के अनुसार उन्हें देय होने पर ब्याज अदा करेगी।

4. जमाओं के लिए जारी जमा प्रमाणपत्रों के संबंध में कंपनी द्वारा सभी भुगतान, चाहे वह ब्याज हो अथवा मूल राशि, चेक/वारंट/मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा की जाएगी और कंपनी उक्त जमाओं के लिए मूल राशि और ब्याज के सहज भुगतान की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगी।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत अधिकृत जमा के लिए निक्षेप और भविष्य में लाभार्थी मालिक के रूप में कंपनी के निक्षेप के प्रति इस प्रकार खरीद की गई सभी प्रतिभूतियों सहित न्यासियों पर प्रभार बनते हैं और इस निदेश के अध्याय III के अनुसार निक्षेप के रूप में बैंक में जमा की गई रु..... की जमाराशि जो जमाकर्ता की बकाया राशि के लाभ तथा अन्य सभी प्रकार के व्यय और अन्य बकाया के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा भविष्य में खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियों के साथ साथ इन निदेश के अध्याय III के तहत बैंक में निक्षेप के रूप में जमा की गई जमाराशि मौजूद है जिसका भुगतान वर्तमान निदेश और चल प्रभार के रूप में निर्मित प्रभार के तहत प्रतिभूतियों पर प्रभार द्वारा रक्षित है। न्यासी किसी भी समय कंपनी को एक लिखित सूचना देकर उक्त चल प्रभार को नियत प्रभार में बदल सकते हैं और यदि न्यासियों का यह अभिमत हो कि उक्त प्रतिभूतियों को जब्त किये जाने अथवा किसी प्रकार के संकट अथवा निष्पादन स्तर अथवा किसी आशंका या किसी दूसरी स्थिति में बेचे जाने का खतरा हो तो वे इसे विधिक प्रभार के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं।

6. इन विलेखों के निष्पादन के पश्चात कंपनी यह स्वीकार करती है कि यह निर्मित प्रभार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करायेगी और प्रभार के पंजीकरण की सूचना न्यासियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को देगी। कंपनी प्रतिभूतियों पर न्यासियों के

धारणाधिकार को संबंधित बैंक/डिपोजिटरी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के साथ पंजीकृत करायेगी और इसकी सूचना न्यासियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को देगी।

7. कंपनी सभी प्रभारित प्रतिभूतियों को तब तक धारण और उपभोग करेगी जब तक इनकी सुरक्षा इन विलेखों की शर्तों के तहत लागू नहीं हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्यासी अपने विवेकानुसार मूल्य के हिसाब से 90% जमाकर्ताओं के लिखित अनुरोध के पश्चात प्रभारित प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेंगे अथवा उनमें से कोई भी इसी विवेक से बेच सकते हैं, इसे मांग आधारित बिक्री से उक्त वर्णित प्रतिभूतियों के साथ पूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग को पैसे में परिणत कर सकते हैं और इस हेतु एकमुश्त राशि अथवा किस्तों में अथवा कुछ राशि खाते में और शेष के लिए बंधक अथवा प्रभार द्वारा और बिक्री के लिए विशेष अधिकार अथवा नामे करने अथवा प्रस्तुत करने अथवा नामे करने का आरंभ करने हेतु अन्य करार अथवा किसी अन्य रूप में जो कि न्यासी के पास उपयुक्त और संपूर्ण अधिकार प्रदान करेगा कि वे उक्त प्रतिभूतियों अथवा उसके किसी भाग को बेचने के लिए किसी भी करार को संशोधित कर सके अथवा निरस्त कर सके और उसे संभावित हानि के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार हुए बिना पुनर्बिक्री कर सके और उक्त समझौतों तथा शर्तों एवं प्रयोजनों अथवा उक्त में से किसी एक और ऐसे सभी आश्वासनों और कार्यों को संपादित कर सकें जो उन्हें उचित लगे।

8. इस करार के तहत जमाकर्ताओं की बकाया राशि तत्काल देय हो जाएगी और इस हेतु गठित सुरक्षा प्रत्येक तथा निम्नलिखित में से किसी में भी इन विलेखों के अनुसार लागू हो जाएगी-

(क) यदि कंपनी इन निदेशों के अध्याय III में दिये अनुसार जनता की जमाओं के लिए संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने में चूक करती है।

(ख) यदि कंपनी जमाकर्ताओं की सहमति के बिना अपना कारोबार बंद करती है अथवा ऐसा दर्शाती है कि उसका ऐसा करने का इरादा है।

(ग) यदि कंपनी को बंद करने हेतु किसी सक्षम न्यायिक कोर्ट द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया है।

(घ) यदि कंपनी, कंपनी लॉ बोर्ड अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में चूक करती है।

(ङ) यदि न्यासियों की राय में जमा धारकों की सुरक्षा खतरे में है।

9. जैसे ही राशि देय होती है और पूर्ववर्ती खंड 8 के तहत सुरक्षा प्रवर्तित होती है (और जब तक कि भुगतान की तिथि और प्रवर्तित सुरक्षा की अवधि साधारण बहुमत से जमाकर्ताओं द्वारा स्पष्ट रूप से बढ़ाया नहीं गया हो), न्यासी प्रभारित प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लें और प्रभारित प्रतिभूतियों को तुरंत प्राप्त करने के लिए कदम उठाएँ और यथानुपातिक आधार पर राशि को जमाकर्ताओं के बीच वितरित कर दें।

10. इस समझौते के खंड संख्या 8 और 9 में उल्लिखित जब तक कोई घटना नहीं घटती है, न्यासी आवश्यकतानुसार प्रभारित संपत्ति अथवा उसके किसी हिस्से को संरक्षित करने अथवा इन विलेखों के खंड 8(ए) में दर्शाये अनुसार जमाओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उक्त कारोबार के कार्यकारी प्रबंधन के कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं करेगा।

11. न्यासी ऐसी बिक्री अथवा उगाही के अन्य माध्यमों की प्रक्रिया को निम्नानुसार तरीके अपनायेंगे अर्थात् न्यासी अदा करेंगे-

(क) सर्वप्रथम ऐसी बिक्री अथवा न्यास का निष्पादन अथवा क्रियान्वयन अथवा इन विलेखों के संबंध में अथवा न्यासी को दिये जाने वाले मानदेय, यदि कोई हो तो, सहित सुरक्षा के संबंध में सभी लागत, शुल्क और व्यय।

(ख) तत्पश्चात् जमाकर्ताओं की जमाराशि

(ग) और अंत में, यदि कोई, अधिशेष है, तो कंपनी अथवा इसके हस्तांतरिती को।

बशर्त कि यदि उक्त राशि ऐसी सभी राशियों की पूरी तरह से भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हो, तो इन राशियों का भुगतान सभी जमाकर्ताओं को दर के अनुसार और बिना किसी वरीयता अथवा प्राथमिकता के उनके द्वारा रखी गई जमाओं के संबंध में बकाया राशि के अनुसार किया जाएगा।

12. जब इन विलेखों द्वारा सुरक्षित सभी राशियों का भुगतान हो चुका है और संतुष्ट किया जा चुका है, तब न्यासी कंपनी के अनुरोध और लागत पर और प्रभारित प्रतिभूतियों की सुरक्षा, पुनर्प्रमाण, पुनराबंटन, जारी करने और सौंपने अथवा इसके कुछेक भाग की बिक्री नहीं किये जाने अथवा कंपनी अथवा इसके प्रतिनिधि के पक्ष में निपटान नहीं किये जाने के संबंध में उक्त न्यासी द्वारा वहन की गई सभी लागत, शुल्क और व्यय ठीक प्रकार से अदा किये जाने पर आगे की कार्रवाई करेगा।

13. यहां कंपनी न्यासियों को निम्नलिखित वचन देती है-

(क) यह कि इस विलेख के द्वारा सुरक्षित पैसे पर प्रथम चार्ज प्रभारित प्रतिभूतियों पर होगा।

(ख) यह कि कंपनी उक्त प्रभारित प्रतिभूतियों अथवा इसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट बैंकर के पास रखेगी।

(ग) यह कि न्यासियों के पास यह अधिकार होगा कि वे कभी भी प्रभारित प्रतिभूतियों की जांच कर सकें और कंपनी इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

(घ) कंपनी गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में न्यासियों को रिटर्न फाइल करेगी।

14. कंपनी इन विलेखों और इनकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले और अन्य सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, लागत, शुल्क, व्यय, दावों और भविष्य में कभी उठने वाले अथवा उठाये जाने अथवा के समक्ष उत्पन्न होने वाले अथवा प्रभारित प्रतिभूतियों के संबंध में अथवा उनके लिए बिना उनकी स्वैच्छिक कारनों से किसी भी मुद्दे पर अथवा किये गए कार्य पर अथवा अनुमोदित कार्य पर हुए व्यय

के साथ-साथ मांगों अन्य सभी दस्तावेजों के अनुमोदन और क्रियान्वयन की लागत, शुल्क और व्यय सहित इन विलेखों के ट्रस्ट बनाने से संबंधित सभी विधिक, यात्रा एवं अन्य व्यय, शुल्क और व्यय की राशि न्यासियों को अदा करेगी।

15. जमाकर्ताओं के न्यासी सभी अथवा किसी भी न्यासीय शक्ति, प्राधिकार और इन विलेखों द्वारा उन्हें प्रदत्त विवेक का उपयोग न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करेंगे और वे जानबूझकर और स्वेच्छा से ट्रस्ट समाप्त किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

16. न्यासियों की समाप्ति की स्थिति में इन विलेखों के तहत प्राप्त सभी शक्तियों, प्राधिकारों के साथ दूसरा न्यास नियुक्त किया जाएगा और ऐसी नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

17. कंपनी के निदेशकों की सहमति द्वारा न्यासी किसी आवश्यकता या आकस्मिक जरूरत की स्थिति में इस विलेख की शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं; बशर्ते कि वे इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसे परिवर्तन जमाराशि धारकों के हित में हैं।

18. कंपनी न्यासियों को यह वचन देती है कि कंपनी सुरक्षा के जारी रहने के दौरान अपने कारोबार को उचित और प्रभावी तरीके से अपेक्षित परिश्रम और कार्यकुशलता के साथ करेगी और प्रभारित प्रतिभूतियों को बरकरार रखने के लिए सभी संभव कदम उठायेगी तथा अधिनियम के अनुसार खाता-बही का रख-रखाव करेगी एवं इन विलेखों के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपर्युक्त न्यासियों को सभी सूचनाएं देगी।

19. कंपनी न्यासियों को यह वचन देती है कि कंपनी न्यास द्वारा निर्धारित सभी दायित्वों का उचित निर्वहन और पालन करेगी। गवाहों की उपस्थिति में कंपनी ने इन विलेखों में अपनी आम मुहर लगाई है और न्यासियों को उक्त दिन और वर्ष से उनके लिए दायित्व निर्धारित किया है।

गवाह

कंपनी की आम मुहर निम्नलिखित के समक्ष लगाई गई।

(निदेशक)

(निदेशक)

(न्यासी)

(न्यासी)

चल आस्तियां (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) न्यासी दिशा निर्देश

1. इन दिशानिर्देशों को जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के न्यासियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश कहा जाएगा।
2. कोई भी कंपनी/बैंक जमाकर्ताओं के न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगी, जबतक कि यह कोई 50 लाख रूपए की न्यूनतम पूँजी के साथ न्यास कारोबार करने वाला कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा लिमिटेड कंपनी नहीं हो और जो स्वतंत्र हो तथा जिसका कंपनी, इसके मूल शेयरधारकों अथवा कंपनी के निदेशकों से कोई संबंध नहीं हो।
3. जमाकर्ताओं के प्रत्येक न्यासी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा -
 - (i) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ करार करना।
 - (ii) कंपनी के साथ किये गए करार में निर्धारित न्यासी के सभी दायित्वों का निर्वहन करना।
 - (iii) न्यास करार के प्रावधानों के अनुसार प्रभारित संपत्ति को कब्जे में लेना।
 - (iv) जमाकर्ताओं के हितों में सुरक्षा बनाए रखना।
 - (v) सुरक्षा लागू करने की दशा में आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य करना।
 - (vi) जमाकर्ताओं के हितों में सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यों को करना।
 - (vii) पता लगाना और स्वयं को संतुष्ट करना कि -
 - (क) जमाओं पर देय ब्याज समय पर कंपनी द्वारा अदा कर दिए गए हैं।
 - (ख) जमाकर्ताओं को जमाओं की परिपक्वता अवधि की तिथि पर उनकी जमाराशि वापस दे दी गई हो।
 - (ग) न्यास करार के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी उचित कार्रवाई।
 - (घ) न्यास करार के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती ही जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाना।
 - (ङ) न्यास करार के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती ही भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना।
 - (च) कंपनी के न्यास करार के अनुपालन, जमाकर्ताओं को ब्याज की अदायगी में चूक तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की छमाही आधार पर रिटर्न आरबीआई के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी पंजीकृत है।
4. जमाकर्ताओं के न्यासी सभी जमाकर्ताओं की बैठक आयोजित करेंगे अथवा कंपनी द्वारा आयोजित करवायेंगे।

- (क) किसी भी समय जमा धारकों में से शेष मूल्य में कम से कम 51% द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांगपत्र के आधार पर।
- (ख) किसी भी ऐसी घटना के घटने पर जो डिफॉल्ट उत्पन्न करे और जिसके कारण न्यासियों की राय में जमा धारकों की सुरक्षा खतरे में हो।
- ऐसी बैठक की एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक की उस क्षेत्रीय कार्यालय, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी पंजीकृत है।

5. न्यासी, भारतीय रिज़र्व बैंक की उस क्षेत्रीय कार्यालय, को पूर्व सूचना देकर कंपनी के खाते, अभिलेखों, रजिस्टर और आवश्यकता पड़ने पर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ट्रस्ट संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है; जिसके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी पंजीकृत है।

6. जमाकर्ताओं के न्यासी कोई भी गलत बयान नहीं देंगे अथवा दस्तावेज, रिपोर्ट, कागजात या भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई जानकारी को दबा नहीं देंगे।

7. जमाकर्ताओं के न्यासी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी दस्तावेजी उल्लंघन अथवा किसी कानून, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकारी के नियम निदेश के गैर अनुपालन के लिए किसी भी कार्रवाई, विधिक कार्यवाही इत्यादि की त्वरित सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देंगे।

8. जमाकर्ताओं के न्यासी अपने किसी कार्य का प्रतिनिधित्व किसी भी कर्मचारी या अभिकर्ता को नहीं सौंपेंगे। हालांकि, ट्रस्टी किसी अन्य दैनिक अथवा लिपिकीय कार्यों के लिए कर्मचारियों, एजेंटों, अधिवक्ताओं या किसी दूसरे पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं। यदि न्यासी किसी कर्मचारी को नियुक्त करता है, तो वह अपने कारोबार को संचालित करने से संबंध में अपने कार्यों/या चूक के लिए उत्तरदायी होगा ।